पत्रांक–1/प्रा0आ0–12/2011 1456 /आ0प्र0
बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 17/4/13.

विषय– पेयजल संकट प्रबंधन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्त्तमान में ग्रीष्मकाल शुरू हो चुका है। राज्य में कुछ वर्षों में भीषणगर्मी तथा अल्प वर्षापात एवं सुखाड़ के कारण पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाया करती है। खास कर गंगा के दक्षिण के 17 जिले पेयजल संकट प्रवण जिले माने जाते हैं। पेयजल संकट से मनुष्य ही नहीं वरन् मवेशी भी प्रभावित होते हैं। पेयजल संकट की पहचान, आसन्न संकट की दशा में पूर्व तैयारियाँ तथा संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार के संबंधित विभागों द्वारा समय–समय पर मार्गदर्शन/निदेश/अनुदेश निर्गत किये गये हैं। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा **"पेयजल संकट प्रबंधन हेतु अपनाई जानेवाली मानक संचालन प्रक्रिया"** द्वारा विस्तृत निदेश दिये गये हैं। अतएव पेयजल संकट से निपटने के लिए पूर्व तैयारियों के कम में निम्न कार्रवाईयां की जाय :–

<u>पेयजल संकट की पहचान</u>

पेय जल संकट की पहचान दक्षिणी पश्चिमी एवं उत्तर पूर्वी विगत मानसून में हुई अल्प वृष्टि, जलाशयों में जलों का कम भंडारण, भूजल स्तर में लगातार गिराबट जैसे पूर्व संकेतांकों के आधार पर की जाए एवं इसकी पूर्व तैयारी शीघ्र प्रारम्भ कर ली जाए।

<u>आकस्मिक योजना का सूत्रण</u>

पेय जल संकट की संभावना नजर आते ही संबंधित जिलों में मानव तथा पशुओं को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर पर आकस्मिक योजना का सूत्रण किया जाय। आकस्मिक योजना के सूत्रण की जिम्मेदारी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अभियंताओं तथा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारियों की होगी जो विभागीय अनुदेशों एवं जिला पदाधिकारियों के दिशा निर्देश में आकस्मिक योजना तैयार करेंगे। इस कार्य में लघु जल संसाधन विभाग तथा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा पूर्ण सहयोग किया जायेगा। आकस्मिक योजना में, अन्य बातों के अलावा, निम्न तत्वों का समावेश रहेगा :

- पेयजल संकट से प्रभावित होने वाले संभावित ग्रामों/टोलों का चिन्हिकरण एवं इन ग्रामों/टोलों की जनसंख्या तथा इनमें उपलब्ध जलश्रोतों की मानचित्रण।
- पारंपरिक जल श्रोतों की पहचान एवं आवश्यकतानुसार उनकी सफाई/गहरीकरण की योजना। पारंपरिक जल श्रोतों से अभिप्रेत है, वे जल श्रोत जो मानव एवं पशुओं की प्यास बुझाने के काम आते हैं, जैसे कुआँ, चुआँ, तालाब, आहर, झील इत्यादि।

- आवश्यकतानुसार जलधारा में अस्थायी डैम बनाकर जलापूर्ति की व्यवस्था की जाय।
- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अथवा अन्य विभागों/निकायों द्वारा गाड़े गये चापाकलों की स्थिति का भौतिक सत्यापन तथा अकार्यरत चापाकलों की विशेष/ साधारण मरम्मति की योजना।
- नए चापाकलों के गाड़ने की चालू एवं आकस्मिक योजना। हैंड ट्यूबवेल/ चापाकल की औसत गहराई का आकलन कर लिया जाय ताकि सही भूजल स्तर पर नए हैंड ट्यूबवेलों/ चापाकलों का अधिष्ठापन किया जा सके।
- लघु जल संसाधन विभाग के नलकूपों की स्थिति का भौतिक सत्यापन एवं यांत्रिक दोष/ विद्युत दोष के कारण बन्द पड़े नलकूपों को कार्यरत करने की योजना। इस योजना का सूत्रण संयुक्त रूप से लघु जल संसाधन विभाग तथा बिहार राज्य विद्युत पर्षद के जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा अपने विभागीय अनुदेशों के अधीन किया जाएगा। परंतु यह योजना भी जिला आकस्मिक योजना के अविभाज्य अंग के रूप में रहेगी।
- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर निकायों की जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति का भौतिक सत्यापन एवं यांत्रिक/ विद्युत दोषों के त्वरित निराकरण की योजना।
- उन क्षेत्रों की पहचान जहाँ पेयजल संकट है अथवा जहाँ पेयजल संकट होने की संभावना है।
- पेयजल संकटग्रस्त क्षेत्रों में आवश्यक होने पर टैंकरों से जलापूर्ति की जाएगी। अतएव जलापूर्ति करने हेतु जल स्त्रोतों एवं रास्तों की पहचान की जाएगी। जल स्रोतों के रूप में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के जलापूर्ति संयंत्रों एवं लघु जल संसाधन विभाग के नलकूपों की पहचान की जाएगी। ऐसे जल स्त्रोतों की पहचान की जायगी जहाँ से पेयजल संकटग्रस्त क्षेत्रों की दूरी न्यूनतम हो। टैंकरों से जलापूर्ति का नियमित अनुश्रवण की जबावदेही लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं जिला पदाधिकारी की है।
- आवश्यक होने पर निजी नलकूपों से भी पेय जलापूर्त्ति की जाएगी।
- पेयजल संकटग्रस्त क्षेत्रों में टैंकरों द्वारा पेय जलापूर्ति करने हेतु रूट चार्ट पूर्व से तैयार कर लिये जायेगा। इस रूट चार्ट से संबंधित नजरी नक्शा भी तैयार कर लिया जाएगा, जिसमें जल श्रोत एवं ग्रामों की दूरी का उल्लेख हो।
- जलापूर्ति हेतु टैंकरों तथा ट्रैक्टरों की आवश्यकता का आकलन एवं व्यवस्था। इस हेतु नगर निकाय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण या अन्य विभाग के टैंकरों का उपयोग किया जाएगा। अधिक टैंकरों की जरूरत पड़ने पर यथानुसार भाड़े पर टैंकरों की व्यवस्था की जा सकेगी। इस हेतु दर का निर्धारण जिला पदाधिकारी द्वारा पूर्व में ही कर लिया जाएगा। आवश्यक होने पर विभाग द्वारा दर निर्धारण किया जा सकेगा।
- अगर टैंकरों की कमी हो तो सिन्टैक्स जैसी टंकियों के जरिये जलापूर्ति की व्यवस्था की जा सकेगी।
- ट्रैक्टर के साथ–साथ आवश्यकतानुसार बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी, टायरगाड़ी इत्यादि का उपयोग भी टैंकरों/ टंकियों के माध्यम से जल पहुँचाने के कार्य में किया जा सकता है। अतएव स्थानीय संसाधनों की पहचान कर लेनी होगी।

- बिजली की अनुपलब्धता की स्थिति में जलापूर्ति संयंत्रों एवं नलकूपों से जल की लिफ्टींग हेतु डी0जी0 सेट की व्यवस्था। आवश्यकतानुसार इसके भाड़े का निर्धारण।
- प्रखंड स्तर पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के नियंत्रणाधीन मिस्त्री की टीमों का गठन तथा टीमों के कार्य क्षेत्रों का निर्धारण। स्थायी मिस्त्रियों की कमी की स्थिति में संविदा/ आउटसोर्सिंग के आधार पर मिस्त्रियों की व्यवस्था।
- आवश्यकतानुसार वाहनों की व्यवस्था ताकि पेयजल संकटग्रस्त क्षेत्रों में जलापूर्ति के कार्यो का पर्यवेक्षण किया जा सके।
- पशु शिविरों के लिए उचित स्थलों की पहचान। इस बात का विशेष ध्यान दिया जायगा कि पशु शिविर यथा संभव जल स्त्रोतों के पास ही हों।
- नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर विकास विभाग के अनुदेशों के अनुसार पेय जलापूर्ति की आकस्मिक योजना का सूत्रण किया जाएगा। यह योजना भी जिला पदाधिकारी के दिशा निर्देश में नगर निकायों के आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी।
- अन्तरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप पीने, पकाने तथा किसी परिवार में व्यक्तिगत स्वच्छता हेतु औसत जल प्रयोग कम से कम 15 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन है। इस मानदर के अनुरूप टोलो/ ग्रामों की जनसंख्या के आधार पर जलापूर्ति की जाय।

अन्य संबंधित विभागों द्वारा पूर्व तैयारियॉः—

<u>लघु जल संसाधन विभागः</u> विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी पेय जल संकट की सूचना प्राप्त होते ही अपने राज्य के पदाधिकारियों के साथ संपर्क कर भूजल रिचार्ज की विभागीय योजनाओं के कार्यान्वयन एवं नलकूपों को कार्यरत बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाएगें।

<u>पशु एवं मत्स्य संसाधन विभागः</u> विभाग के जिलास्तरीय पदाधिकारी पेय जल संकट एवं उसकी वजह से पशुओं पर संभावित प्रभावों पर सतत निगरानी रखेंगे। पेय जल एवं चारा संकट की सूचना मिलते ही साथ ही पशु शिविरों हेतु आकस्मिक योजना सूत्रण एवं कार्यान्वियन विभाग से समन्वय कर प्रारम्भ कर देंगे।

<u>ऊर्जा विभाग/बिहार स्टेट पॉवर होल्डिग क0 लि0:</u> जिलास्तरीय पदाधिकारी जलापूर्ति संयंत्रों एवं नलकूपों के विद्युत आपूर्ति एवं विद्युत दोषों के त्वरित निवारण हेतु सभी आवश्यक कदम उठायेंगे। इसके लिए कम्पनी द्वारा संबंधित विभागों, अपने वरीय विभागीय पदाधिकारियों एवं जिला स्तरीय टास्क फोर्स से समन्वय कर आकस्मिक योजना का सूत्रण एवं कार्यान्वयन करेंगे।

<u>नगर विकास एवं आवास विभागः</u> नगर निकायों में पेयजल संकट प्रबंधन हेतु आकस्मिक योजनाओं के सूत्रण एवं कार्यान्वियन हेतु संबंधित निकायों के पदाधिकारी सभी आवश्यक कदम उठाएगें। इस सिलसिले में विभाग से आवश्यक सहयोग प्राप्त करने की दिशा में कदम उठाएगें।

<u>जिला टास्क फोर्स का गठनः</u> जिला स्तर पर जिला टास्क फोर्स का गठन जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में किया जायेगा। जिला टास्क फोर्स द्वारा आकस्मिक योजना के कार्यान्वियन का सघन अनुश्रवण एवं समीक्षा की जायेगी। टास्क फोर्स में

अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, तथा लघु जल संसाधन विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के जिला स्तरीय पदाधिकारी सदस्य रहेंगे। यथानुसार उक्त टास्क फोर्स में संबंधित नगर निकायों के आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी को शामिल किया जायेगा।

जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी

जिला स्तर, अनुमंडल स्तर एवं प्रखण्ड स्तर पर जिला प्रशासन के किसी पदाधिकारी को जिला पदाधिकारी द्वारा नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित किया जायेगा जो पेय जल संकट प्रबंधन के लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय का कार्य करेंगे। इसके अलावा टास्क फोर्स में शामिल सभी विभाग जिला स्तर पर विभागीय नोडल पदाधिकारी नामित करेंगे जो अपने–अपने विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली आकस्मिक योजनाओं के लिए समन्वयक का कार्य करेंगे।

जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना

जिला स्तर पर जल संकट की सतत् निगरानी की जाएगी तथा जल संकट की आहट मिलते ही जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाएगी। जिला नियंत्रण कक्ष की दूरभाष/फैक्स संख्या की जानकारी संचार माध्यमों से आम जन को दी जाएगी ताकि जनसाधारण द्वारा जल संकट की सूचना प्रशासन को दी जा सके तथा प्रभावी कदम उठाया जा सके।

टैंकरों से पानी पहुंचाने की व्यवस्था

आकस्मिक योजना के अनुसार पहचाने गये गाँवों, जहाँ पेयजल संकट शुरू हो गया हो, में टैंकरों के माध्यम से जल पहुँचाने एवं वितरण का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। यह कार्य जिला प्रशासन की देख–रेख में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा किया जाएगा। टैंकरों से जल पहुँचाने एवं वितरण के समय विधि व्यवस्था की समस्या से निपटने हेतु पुलिस अधीक्षकों द्वारा आवश्यकतानुसार पुलिस बल तैनात किया जाएगा। टैंकरों से जिस गाँव/टोलों में जल वितरण किया जाना होगा, वहाँ जल वितरण के कार्य में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाएगी। किसी गाँव में प्रतिदिन भेजे जानेवाले टैंकरों की संख्या तथा प्रति व्यक्ति जल की आपूर्त्ति का आकलन कर तद्नुरूप कार्रवाई की जाएगी। सुनिश्चित किया जाएगा कि जिन जल स्रोतों से जल भेजा जा रहा है वह जल पीने योग्य है। विभागीय कनीय/ सहायक अभियंता अपने–अपने क्षेत्रों में टैंकरों द्वारा जल पहुँचाने एवं वितरण कार्य का सघन पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे।

नए जल स्रोतों की पहचान

जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में नए भू–जल श्रोतों की पहचान के लिए केन्द्रीय भू–जल बोर्ड की मदद ली जाएगी। इस प्रकार चिन्हित जल श्रोतों से जल के दोहन के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/लघु जल संसाधन विभाग द्वारा अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी।

नये चापाकलों एवं नलकूपों का अधिष्ठापन

जहाँ भू–जल उपलब्ध हो वहाँ भू–जल की गहराई के आलोक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा नये चापाकलों के अधिष्ठापन के कार्य में तेजी लायी जाएगी। उसी प्रकार लघु जल संसाधन विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार नये नलकूपों का अधिष्ठापन कर जल के नए स्रोत उपलब्ध कराए जाएँगे। कड़े एवं चट्टानी

भू–भागों में नए नलकूपों के अधिष्ठापन हेतु आवश्यक रिग मशीन की व्यवस्था किराए के आधार पर की जा सकेगी।

पुराने चापाकलों की मरम्मति

अकार्यरत तथा कालक्रम में खराब होने वाले चापाकलों की मरम्मति के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा गठित मिस्त्रियों की टीम पूरी तरह से सक्रिय कर दी जाएगी। टीम को पर्याप्त साजो–समान से लैस किया जाएगा। यदि नियमित मिस्त्री पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो तो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग संविदा/आउट सोर्सिंग से गैंगमैन की सेवाएँ ले सकेगा।

शहरी क्षेत्रों में जल संकट का मुकाबला

नगर विकास विभाग द्वारा नगर निकायों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में पेयजल संकट से निपटने के लिए सभी जरूरी कदम उठाये जाएंगे। जहाँ कहीं चापाकलों में पानी का स्तर नीचे जाने, चापाकलों के अकार्यरत हो जाने अथवा जलापूर्त्ति योजनाओं के द्वारा जलापूर्त्ति नहीं होने की स्थिति में जल संकट के दृष्टान्त प्रकाश में आयेंगे, वहां आवश्यकतानुसार टैंकरों के माध्यम से भी जल पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। टैंकरों से जल वितरण के समय विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा नगर निकायों को पुलिस बल उपलब्ध कराया जाएगा।

नलकूपों को कार्यरत बनाए रखना

लघु जल संसाधन विभाग नलकूपों को कार्यरत रखने के लिए अपेक्षित कार्रवाई करेगा। चूँकि टैंकरों से जल पहुँचाने के लिए नलकूपों से जल निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, अतएव जिन–जिन नलकूपों की पहचान जल स्रोतों के रूप में की गयी हो, उन्हें चालू रखने के लिए ऑपरेटरों सहित विभाग की मोबाइल टीमें कार्य पर लगी रहेंगी। मोबाइल टीमों में सामान्य यांत्रिक एवं विद्युत दोषों का निराकरण कर सकने वाले मिस्त्री विभागीय पदाधिकारियों के साथ मौजूद रहेंगे। इन मोबाइल टीमों को आवश्यक साजो–सामानों एवं वाहनों से लैस किया जाएगा। इनके बीच नलकूपों का बँटवारा इस प्रकार किया जाएगा ताकि जिले के सभी कार्यरत नलकूपों की नियमित निगरानी हो सके।

जलापूर्त्ति योजनाओं एवं नलकूपों के विद्युत दोषों का निवारण

बिहार स्टेट पॉवर होल्डिग क0 लि0 द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं लघु जल संसाधन विभाग एवं नगर निकायों के साथ सतत् संपर्क कर जलापूर्त्ति योजनाओं एवं नलकूपों के विद्युत दोषों का निवारण युद्ध स्तर पर किया जाएगा। इसके लिए कम्पनी द्वारा अपने स्थानीय पदाधिकारियों को सुपरिभाषित दायित्व सौंपे जाएंगे।

जलापूर्त्ति योजनाओं एवं नलकूपों को विद्युत आपूर्त्ति

बिहार स्टेट पॉवर होल्डिग क0 लि0 द्वारा जलापूर्त्ति योजनाओं एवं नलकूपों को नियमित विद्युत आपूर्त्ति के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। आवश्यकतानुसार प्राथमिकता के आधार पर विद्युत आपूर्त्ति हेतु रोस्टर व्यवस्था लागू की जा सकेगी। परंतु इसका व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाएगा ताकि आम जन तद्नुसार अपने घरों में जल का प्रबंधन कर सकें।

<u>मवेशी शिविरों को कार्यरत करना</u>

आवश्यकतानुसार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा पशु शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में पेयजल एवं चारे की व्यवस्था की जाएगी। पशु शिविरों के स्थान एवं उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी संचार माध्यमों के जरिये आमजन तक पहुँचाई जाएगी।

ग्रीष्मकाल के दौरान पेयजल संकट से निपटने हेतु उपरोक्त निदेश के आलोक में अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(व्यास जी)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1456 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 17/4/13

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1456 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 17/4/13

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/जल संसाधन विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/ऊर्जा विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पॉवर होल्डिग क0 लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1456 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 17/4/13

प्रतिलिपि– विकास आयुक्त/मुख्य सचिव, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1456 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 17/4/13

प्रतिलिपि– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव